



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1391) पटना, सोमवार, 18 अगस्त 2025

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-660—बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। —

(1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

14. सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता:—

“प्रत्येक सदस्य को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि जो भी पहले हो से संसदीय कार्यों के सम्पादन हेतु समेकित रूप से ₹8,300/—(आठ हजार तीन सौ) रुपये प्रतिमाह की दर से दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता भुगतेंय होगा। इसके लिए सदस्यगण को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

14 अगस्त 2025

सं० सं०का०-01/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-661 संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-660 दिनांक 14.08.2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

The 14th August 2025

P.A.-1/V.M.(Salary & Allowances of Members)-05-06/2017-660—In exercise of the powers conferred by the section 8 of the Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 2006 (Act No. 16, 2006) (As amended from time to time), the Governor of Bihar hereby makes the following Amendments in Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Rules, 2006 (as amended from time to time) :-

Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) (Amendment) Rules, 2025

1. Short title and commencement-

- (1) These Rules may be called the Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Rule 14 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

14. Telephone/Mobile/Internet allowance for Members:-

"From the date of notification of the Election Commission of India or the date of commencement of the tenure whichever is earlier each Member shall be entitled to receive ₹8,300/- (Eight Thousand Three Hundred) allowance per month in total for Telephone/Mobile/Internet facility for performing Parliamentary work. For this, the Members will not be required to submit telephone/Mobile/Internet bills."

By order of the Governor of Bihar,
Rajesh Kumar,
Additional Secretary to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1391-571+1000-डी०टी०पी०

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>